(89)

Annexure 'A'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33002/99 | भारत सरकार | REGISTERED No. D.L.—33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96] दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2011/ज्येष्ठ 13, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 57

No. 96] DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2011/JYAISTHA 13, 1933 [N.C.T.D. No. 57

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 जून, 2011

सं. एफ. 3(9)/वित्त (क. एवं स्था.)/2009-10/पार्ट फा.-1/डीएस-II/245.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं; अर्थात् :—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम श्री/श्रीमती/कु.	जन्म तिथि	पदनाम
1.	विक्रान्त नेन	31-1-1977	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
2.	भारतेन्दु शांडिल्य	3-8-1977	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
3.	राजेश कुमार गुप्ता	1-3-1963	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
4.	अजय कुमार चावला	2-5-1968	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अरविन्द जैन, उप-सचिव-II

FINANCE (REV.-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd June, 2011

No. F. 3(9)/Fin./(T & E)/2009-10/Ptf.-1/DS-II/245.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officers, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely :—

S. No.	Name of the Officer (Sh/Smt./Km).	D.O.B.	Appointed As
1.	Vikrant Nain	31-1-1977	Asstt. Value Added Tax Officer
2.	Bhartendu Shandilya	3-8-1977	Asstt. Value Added Tax Officer
3.	Rajesh Kumar Gupta	1-3-1963	Asstt. Value Added Tax Officer
4.	Ajay Kumar Chawla	2-5-1968	Asstt. Value Added Tax Officer

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
ARVIND JAIN, Dy. Secy.-II

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 जून, 2011

सं. फा. 82(265)/एडी-III/संशोधन अधिनियम पीडब्ल्यूडी/स. कल्या. वि./09/3443-3461 .—इस कार्यालय के दिनांक 31 मई, 2011 की अधिसूचना सं. फा. 82(265)/एडी III/ संशोधन अधिनियम पीडब्ल्यूडी/स. कल्या. वि./09/3187-3205 के आंशिक संशोधन तथा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 की उप-धारा (त) के उपबन्धों के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा, विकलांगता का प्रमाण-पत्र के प्रयोजन के रूप में जैसा कि धारा 2 की उप-धारा (ब) में वर्णित है, 6 और 7 जून, 2011 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी नौ जिलों में आयोजित सभी प्रकार की नि:शक्तताओं के लिए नि:शक्तता शिविर के दौरान चिकित्सा अधिकारी के रूप में हिन्दू राव अस्पताल, दिल्ली को अधिकृत करता है और आगे निर्देश दिया है कि हिन्दूराव अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञ चिकित्सक को उपरोक्त अवधि के लिए चिकित्सा अधिकारियों के स्थान पर नि:शक्तता प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। दिनांक 31 मई, 2011 की अधिसूचना सं. फा. 82(265)/एडी-III/संशोधन अधिनियम पीडब्ल्यूडी/स. कल्या. वि./ 09/3187-3205 के आधार पर इसमें नामित अन्य अधिकृत अस्पतालों द्वारा नि:शक्तता प्रमाण-पत्र के एक साथ और जारी रखे मुद्दे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
एस. पी. दीक्षित, निदेशक

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd June, 2011

F. No. 82(265)/AD-III/Amendment PWD Act/DSW/ 09/3443-3461.—In partial modification of notification No. F. 82(265)/AD-III/Amendment PWD Act/DSW/09/ 3187-3205 dated 31st May, 2011 and in pursuance of the provisions of Clause (p) of Section 2 of persons with disabilities (Equal Opportunities, Protection of Right and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996), the Lt. Governor of N.C.T. of Delhi hereby specifies, for the purpose of issue of certificates of disability as mentioned in Clause (t) of Section 2 of the said Act, Hindu Rao Hospital, Delhi as 'Medical Authority' for all the nine districts of NCT of Delhi during the disability camp to be held on 6th and 7th June, 2011 at Hindu Rao Hospital, Delhi for all types of disabilities and further directs that Medical Officer/ Specialist Doctor of Hindu Rao Hospital shall be authorized to sign the disability certificate on behalf of Medical Authorities for the aforesaid period. This will be without prejudice to the simultaneous and continued issuance of disability certificates by other designated hospitals as per the above Notification No. F. 82(265)/AD-III/Amendment PWD Act/DSW/09/3187-3205 dated 31st May, 2011.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi
S.P. DIXIT, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.